

30-04-18

तक़ील डिक्रीदार उप०। इजराय से  
संबंधित प्रकरण / अपील माननीय राजस्व मंडल,  
अजमेर में विचारणीय है। इजराय पत्रावली में  
आगामी कार्यवाही / पालना माननीय राजस्व  
मंडल द्वारा पारित निर्णयानुसार ही किया  
जाना अपेक्षित है। अतः पत्रावली फैंसल शुमार  
होकर नंबर से कम हो एवं माननीय राजस्व  
मंडल द्वारा पारित निर्णय की चालना हेतु  
इजराय पुनः पेश हो। पत्रावली बरख तक़ील  
जमा जिला अभिलेखागार हो।

सहायक कलेक्टर एवं  
कार्यपालक मजिस्ट्रेट  
गंगार सिटी